न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 04/2022 (जी.सी.एम.एस. न0 2022/81)

उनवानी प्रकरण :–

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ———————————— प्रार्थी।

बनाम्

श्री दीपक पुत्र मनोहर जाति जाटव निवासी मौहल्ला किरी पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर ———————————— अप्रार्थी।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

2– अप्रार्थी की ओर से :– श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह अभिभाषक।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★

आदेश **दिनांक 31.01.2025**

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना वसेडी जिला धौलपुर से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध अप्रार्थी दीपक पुत्र मनोहर जाति जाटव निवासी मौहल्ला किरी पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सटटा/जुआ खेलने का आदि है जो रूपयों पैसों का दाव लगागर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटेबाजी करते हुआ कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी को बार–बार जुआ खलते हुये गिरफतार किया जाकर जिसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में कर माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहॉ वह स्वंय को इलाका का सटटा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है ऐसे अपराधी का खुले रूप में घूमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। अप्रार्थी के विरूद्ध थाना कोतवाली जिला धौलपुर पर प्रकरण संख्या 24/2022 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.01.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 06 दिनांक 25.01.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दिनांक 28.03.2022 को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 34/2022 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 16.01.

जिला कलक्टर
धौलपुर

2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 09 दिनांक 25.01.2022 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 101/2021 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 08.02.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 55 दिनांक 25.02.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम ने अप्रार्थी को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 35/2021 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 12.01.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 23 दिनांक 29.01.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम ने अप्रार्थी को दिनांक 16.02.2021 को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 451/2020 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 09.10.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 252 दिनांक 31.10.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम ने अप्रार्थी को दिनांक 21.11.2020 को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों को मध्यनजर रखते हुये उक्त अप्रार्थी ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिये नवयुवा पीढी को जुआ सटटे की आपराधिक लत लगा दी है तथा अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री योगेन्द्रसिंह कुशवाह अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया, जिसमें उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी के खिलाफ कोई ऐसा गम्भीर अपराध नहीं है जिससे अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपराध बनता हो। अप्रार्थी के खिलाफ पुलिस द्वारा इस्तगासा में जो तथ्य अंकित किये गये है वह गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी सीधा साधा गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है जो मजदूरी से अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता है। रंजिशन पुलिस द्वारा जो इस्तगासा पेश किया गया वह गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी के खिलाफ ऐसे गम्भींर अपराध नहीं है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो। पुलिस ने अप्रार्थी के खिलाफ अन्य प्रकरण बनाये है वे झूठे मनगढन्त कहानी बनाकर उक्त प्रकरणों में अप्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। अप्रार्थी शांति पूर्वक रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने उक्त 05 मुकदमों को लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया है। गैरसायल बालाजी हॉस्पीटल सिटी जुवली हॉल के पास घंटा घर रोड धौलपुर में सफाई व देखभाल का कार्य करता है। गैर सायल ने आज तक किसी भी व्यक्ति को न तो डराया और न ही धमकाया है। अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाहान सूची, प्रकरण संख्या 24/2022 प्रति एफ.आई.आर. प्रति चार्जशीट, प्रति फैसला, प्रकरण संख्या 34/2022 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फैसला, प्रकरण संख्या 101/2021 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फैसला, प्रकरण संख्या 35/2021 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फैसला, प्रकरण संख्या 451/2020 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फैसला,प्रस्तुत की है। अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणा की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध 6 माह की समयावधि के दौरान दो बार दोषसिद्व कर अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया है। किन्तु अप्रार्थी अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सटटा/जुआ खेलने का आदि है जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटेबाजी करते हुआ कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। उक्त प्रकरणों व उसकी आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(V) की तारीफ में आता है जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी कभी भी गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं रहा है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत स्वतंत्र गवाह का होना आवश्यक है किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में ना तो सरकारी गवाहों की गवाही कराई है और ना ही स्वतंत्र गवाहो की गवाही करायी है। अप्रार्थी सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी बालाजी हॉस्पीटल सिटी जुबली हॉल के पास घंटा घर रोड धौलपुर में सफाई व देखभाल का कार्य कर अपने परिवार का पेट पालन करता है। अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्माना किया है। अप्रार्थी के विरूद्व आज तक कोई भारतीय दण्ड संहिता का आपराधिक मुकदमा किसी भी थाने अदालत में दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी को पुलिस द्वारा झूंठा केस बनाकर फंसाया गया है। मेरे खिलाफ कोई ऐसे गम्भींर अपराध नहीं है जिससे मेरे खिलाफ गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपराध बनता हो यदि फिर भी मेरे खिलाफ केस बनता है तो मैं भविष्य में उपरोक्त आपराधिक प्रवर्तियों से दूर रहूंगा।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी

जिला कलक्टर
धौलपुर

अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :–

''(आ) ''गुण्डा'' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो–

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा

2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा

3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा

7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा

8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहॉ किसी ''अभ्यस्त'' या ''अभ्यासी'' शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।''

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:– मुकदमा प्रकरण संख्या 24/2022 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.01.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 06 दिनांक 25.01.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दिनांक 28.03.2022 को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 34/2022 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 16.01.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 09 दिनांक 25.01.2022 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 101/2021 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 08.02.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 55 दिनांक 25.02.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय

जिला कलक्टर
धौलपुर

सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 35/2021 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 12.01.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 23 दिनांक 29.01.2021 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दिनांक 16.02.2021 को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 451/2020 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 09.10.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 252 दिनांक 31.10.2020 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय सीजेएम धौलपुर ने अप्रार्थी को दिनांक 21.11.2020 को दोषी करार कर 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है जो अधिनियम की धारा 2(आ) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (आ) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " **राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता है वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी दीपक पुत्र मनोहर जाति जाटव निवासी मौहल्ला किरी पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला भरतपुर में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला भरतपुर में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय–अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसैंन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। अप्रार्थी प्रथमतः पुलिस अधीक्षक भरतपुर के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक भरतपुर के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को पुलिस अधीक्षक भरतपुर के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक भरतपुर के नियंत्रण में अप्रार्थी दीपक पुत्र मनोहर जाति जाटव निवासी मौहल्ला किरी पुराना शहर धौलपुर थाना कोतवाली जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर अप्रार्थी दीपक जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर